(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– सुमन देवी II, आर.ए.एस

राजस्व वाद सं.– 133 / 2023

जीसीएमएस नम्बर :– 2023 / 480

1. बनवारीलाल आयु 50 वर्ष
2. महेश आयु 40 वर्ष

पुत्रान रामजीलाल जाति जाट निवासी नरहड तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज0

3. श्रीमति संतोष आयु 60 वर्ष पत्नी स्व. दरियासिंह जाति जाट निवासी नरहड तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज0

.............वादीगण

बनाम

1. मल्लेसिंह आयु 75 वर्ष पुत्र चन्द्राराम जाति जाट निवासी रेजड़ी तहसील राजगढ जिला चूरू राज0

   1/1. सत्यपाल चाहर पुत्र फुलाराम दत्तक पुत्र भल्ले सिंह जाति जाट निवासी रेजड़ी तहसील राजगढ़ जिला चुरू राज0

2. मोहर सिंह आयु 60 वर्ष
3. सतवीर अयु 50 वर्ष
4. दलीप आयु 45 वर्ष
5. मनीराम आयु 43 वर्ष

पुत्रान तिरखाराम जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज0

6. रामसिंह आयु 60 वर्ष
7. प्यारेलाल आयु 55 वर्ष
8. राजेन्द्र आयु 50 वर्ष
9. छोटेलाल आयु 43 वर्ष

पुत्रान मोहनलाल जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0

10. श्रीमति शान्ति आयु 80 वर्ष स्त्री मोहनलाल
11. मु.कृष्णा आयु 53 वर्ष पुत्री मोहनलाल स्त्री रोहिताश जाति जाट निवासी किठाना तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0
12. सुरेश आयु 40 वर्ष
13. कालू उर्फ प्रदीप आयु 38 वर्ष

पुत्रान दयानन्द जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0

14. श्रीमति धर्मा आयु 70 वर्ष स्त्री दयानन्द जाति जाट निवासी नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज0
15. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नरहड़ जरिये शाखा प्रबन्धक बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0
16. ओरियन्टल बैंक ऑफ कोमर्स शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक ओरियन्टल बैंक ऑफ कोमर्स शाखा चिड़ादा जिला झुंझुनूं राज0

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना

17. लैन्ड होल्डर, तहसीलदार चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0

.................प्रतिवादीगण

दावा बाबत:— इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

—:निर्णय:— दिनांक:—

(1). वादी का वादपत्र रहा कि:—

1. यह कि तहसील चिड़ावा में जमीन ख.नं. 784 तादादी 0.56 हैक्टर, ख.नं. 785 तादादी 0.51 हैक्टर, ख.नं. 787 तादादी 0.79 हैक्टर, ख.नं. 788 तादादी 0.02 हैक्टर गै.मु.कुंआ, ख.नं. 790 तादादी 0.44 हैक्टर, ख.नं. 791 तादादी 0.42 हैक्टर, ख.नं. 792 तादादी 0.55 हैक्टर, ख.नं. 793 तादादी 0.52 हैक्टर कुल किता 8 रकबा 3.81 हैक्टर वाके ग्राम नरहड़ स्थित है।
2. यह कि तहसील चिड़ावा में एक अन्य जमीन ख.नं. 1048 तादादी 0.19 हैक्टर, ख.नं. 1055 तादादी 4.09 हैक्टर, ख.नं. 1056 तादादी 0.19 हैक्टर, ख.नं. 1057 तादादी 1.23 हैक्टर, ख.नं. 1058 तादादी 0.24 हैक्टर, ख.नं. 1059 तादादी 0.04 हैक्टर, ख.नं. 1061 तादादी 0.47 हैक्टर व ख.नं. 2386/2343 तादादी 1.16 हैक्टर कुल किता 8 रकब 7.61 हैक्टर वाके ग्राम नरहड़ स्थित है।
3. यह कि जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र का खातेदार काश्तकार पहले वादीगण नम्बर 1, 2 का दादा चन्द्राराम व उनका भाई सुखराम था व काबिज था। वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 1 लगायत 14 उक्त चन्द्राराम व सुखराम के वारिसान हैं। इस जमीन की स्थिति को भली भांति समझने के लिए उक्त चन्द्राराम व सुखराम की वंशावली दिया जाना आवश्यक है जो नीचे लिखे अनुसार है :—

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

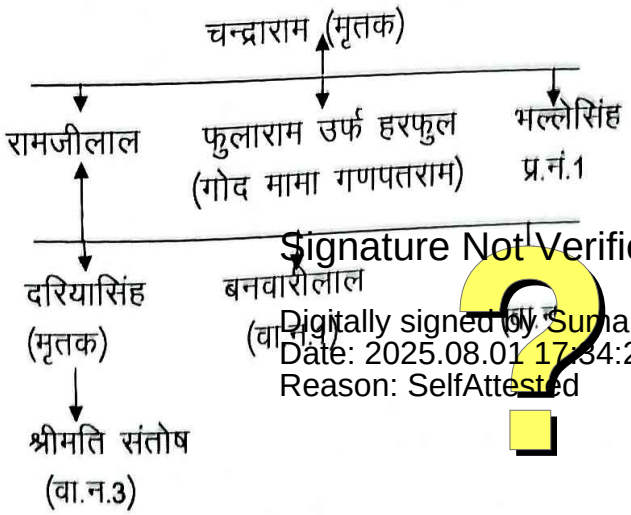

उक्त चन्द्राराम का इस जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र में 1/2 हिस्सा तथा उसके भाई उक्त सुखराम का 1/2 हिस्सा शामिल में रहा। उक्त चन्द्राराम के तीन पुत्रगण वादीगण नम्बर 1, 2 का पिता रामजीलाल, उक्त फूलाराम उर्फ हरफूल तथा प्रतिवादी नम्बर 1 हुये। वादीगण नम्बर 1, 2 के पिता रामजीलाल की आयु करीब 10–12 साल की थी तब इनके पिता उक्त चन्द्राराम का देहान्त हो गया तथा उक्त फूलाराम व प्रतिवादी नम्बर 1 की आयु पिता की मृत्यू के समय क्रमशः 7 वर्ष व 5 वर्ष की थी। उक्त रामजीलाल, फूलाराम प्रतिवादी नम्बर 1 का ननिहाल ग्राम रेजड़ी तहसील राजगढ जिला चूरू था। इनके मामा गणपतराम के कोई पुत्र सन्तान नही थी। इधर इनके पिता चन्द्राराम की मृत्यू उक्त रामीलाल, फूलाराम व प्रतिवादी नम्बर 1 की अल्पायु में ही हो गई थी। इसलिए वादीगण नम्बर 1, 2 के पिता स्व.रामजीलाल की परवरिश ग्राम नरहड़ में ही इनके चाचा, ताओं ने की। उक्त गणपतराम अपने दोनों भान्जों उक्त फूलाराम व प्रतिवादी नम्बर 1 को अपने साथ अपने गांव रेजड़ी ले गया तथा उक्त फूलाराम को गोद ले लिया। प्रतिवादी नम्बर 1 की आयु उस समय 5 वर्ष थी जो भी गांव रेजड़ी में अपने मामा गणपतराम व अपने भाई उक्त फूलाराम के साथ ही रहा। प्रतिवादी नम्बर 1 की आयु इस समय करीब 75 वर्ष है तथा अपनी पांच वर्ष की आयु से ग्राम रेजड़ी में ही रह रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 की आंख पहले से ही खराब थी। अब दूसरी आंख से भी मामुली दिखाई पड़ता है। इसलिए प्रतिवादी नम्बर 1 की शादी नहीं हुई। प्रतिवादी नम्बर 1 अपने भाई फूलाराम व उसके परिवार के साथ ही उक्त अनुसार 70 वर्षों से गांव रेजड़ी में ही रह रहा है। प्रतिवादी नम्बर 1 का राशन कार्ड भी अपने भाई फूलाराम के परिवार कार्ड के साथ ही शामिल में ही बना हुआ है। प्रतिवादी नम्बर 1 को निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया परिचय पत्र व आधार कार्ड भी ग्राम रेजड़ी में ही बने हुये हैं। विभिन्न निर्वाचन नामावलियों में ग्राम रेजड़ी में प्रतिवादी नम्बर 1 का मत दर्ज है। गत करीब 70 वर्षों से कभी भी प्रतिवादी नम्बर 1 गांव नरहड़ में नहीं रहा व न कभी जमीन जेर बहस वर्णित धारा 1, 2 वाद पत्र को उसने काश्त किया। न प्रतिवादी नम्बर 1 का राशन कार्ड निर्वाचन आयोग द्वारा परिचय पत्र गांव नरहड़ में बना न कभी ग्राम नरहड़ में विधान सभा, लोकसभा या सम्बन्धित ग्राम पंचायत की निर्वाचन नामावलियों में भी कभी प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम ग्राम नरहड़ में दर्ज नहीं रहा। उक्त चन्द्राराम के जमीन जेर बहस वर्णित धारा 2, वाद पत्र में 1/2 हिस्से की जमीन को हमेशा से पहले उक्त रामजीलाल व उसकी मृत्यू के बाद वादीगण ही काश्त करते हैं व राज्य सरकार को लगान अदा करते हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 ने जमीन जेर बहस को न कभी काश्त किया व न इस जमीन का कभी लगान ही अदा किया। प्रतिवादी नम्बर 1 गांव नहरड़ में कभी न रहने से उसे यह भी मालुम नहीं है कि कौन सी जमीन को काश्त करता है। वादीगण उक्त रामजीलाल के हिस्से की 1/2 हिस्से की जमीन को काश्त करते हैं व काबिज हैं तथा उक्त सुखराम के 1/2 हिस्से की जमीन को उसके वारिसान प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 14 काश्त करते हैं व काबिज हैं। प्रतिवादी नम्बर 1 का इस जमीन वर्णित धारा 1, 2 वाद पत्र से कोई सम्बन्ध व हक अधिकार नही रहा।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

4. यह कि उक्त अनुसार वादीगण नम्बर 1, 2 के पिता रामजीलाल इस जमीन जेर बहस में अपने पिता स्व. चन्द्राराम के 1/2 हिस्से की जमीन अकेले काश्त करता था। प्रतिवादी नम्बर 1 न कभी नरहड़ आया व न कभजमीन काश्त की। स्व. रामजीलाल ने अपने जीवनकाल में पहले ही प्रतिवादी नम्बर 1 को उसके हिस्से की जमीन के प्रतिफल पेटे 25000/– रूपये अदा कर दिये थे तथा बाद में वादी नम्बर 1 ने 3,00,000/– रूपये प्रतिवादी नम्बर 1 को दे दिये। इस प्रकार प्रतिवादी नम्बर 1 ने विवादित जमीन में अपने हिस्से की जमीन के प्रतिफल पेटे सम्पूर्ण प्रतिफल राशि वादीगण से प्राप्त कर ली तथा कोई राशि शेष नहीं रही। वादीगण के पिता उक्त रामजीलाल व उसके पुत्र वादीगण नम्बर 1, 2 व प्रतिवादी नम्बर 1 उक्त अनुसार आपस में एक दूसरे से सम्बन्धित प्रेमभाव व विश्वास होने से उक्त अनुसार प्रतिवादी नम्बर 1 को अदा की गई राशि के बारे में कोई लिखा पढी नही की गई वन इसकी कभी जरूरत ही पड़ी। चूंकि प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपनी 75 वर्ष की आयु के दोरान इस जमीन को कभी काश्त नहीं किया न कभी इस जमीन में अपना हक हिस्सा क्लेम किया। इस प्रकार कानून से प्रतिवादी नम्बर 1 का जमीन जेर बहस वर्णित धारा 1, 2 वाद पत्र में हक हिस्सा अधिकार समाप्त हो गये परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1 का नाम गलत रूप से इस जमीन जेर बहस के राजस्व रिकार्ड दर्ज चलता रहा जिसको आधार बनाकर भी प्रतिवादी नम्बर 1 इस जमीन में पहले अपना कोई हक अधिकार होना क्लेम नहीं किया।

5. यह कि माह जून 2020 के अन्त में वादीगण नम्बर 1, 2 को न्यायालय श्रीमान् के नोटिस दिनांक 16.7.2020 की तारीख पेशी के लिए प्राप्त हुये जिस पर वादीगण नम्बर 1, 2 ने अपने वकील साहब से सर्म्पक किया तो वादीगण नम्बर 1, 2 को प्रतिवादी नम्बर 1 द्वारा एक दावा उनवानी भल्लेसिंह बनाम बनवारीलाल वगैरह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. /2020 व उक्त उनवानी प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 69/2020 के न्यायालय श्रीमान् में प्रस्तुत किये जाने बाबत जानकारी हुई तथा वादीगण को यह जानकारी हुई कि प्रतिवादी नम्बर 1 ने दावा व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय में प्रस्तुत कर इस जमीन जेर बहस को किसी अन्य के हक में अन्तरित नही किये जाने बाबत स्थगन आदेश भी प्राप्त किया हुआ है जिसके बाबत इस जमीन की जमाबन्दी में नोट लगवाया हुआ है। दावा करने से पूर्व भी प्रतिवादी नम्बर 1 कभी भी वादीगण के पास इस जमीन जेर बहस के बाबत किसी प्रकार के हक अधिकार क्लेम [illegible] उद्देश्य से नहीं आया। जमीन जेर बहस हमेशा की भांति वादीगण ने इस [illegible] काश्त [illegible] है जिसमें वादीगण की बाजरा, मूंग, गंवार, मोठ आदि की फसल खड़ी हुई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

6. यह कि दिनांक 2.8.2020 को प्रतिवादी नम्बर 1 की उक्त फूलाराम के पुत्र सतपाल जो फोज में नौकरी करता है. की पत्नी अपने साथ लेकर आई, उसके साथ दस पन्द्रह अन्य व्यक्ति भी थे। उक्त सतपाल व उसकी पत्नी के मन में जमीन के बाबत अनावश्यक रूप से लालच आ गया। उक्त सतपाल ने एक–दो बार पहले भी करीब 5–6 माह पूर्व वादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

पर टेलीफोन कर प्रतिवादी नम्बर 1 को उसके हिस्से की जमीन देने के लिए चर्चा की थी तो वादीगण ने उसे स्पस्ट कर दिया था कि प्रतिवादी नम्बर 1 अपने हिस्से की किसी जमीन के पेटे प्रतिफल राशि उक्त अनुसार पहले ही प्राप्त कर चुका है तथा उसका कोई हक अधिकार इस जमीन में शेष नही है, तब उक्त सतपाल चुप हो गया था तथा उसके बाद कभी भी चर्चा नहीं की। दिनांक 2.8.2020 को उक्त सतपाल की पत्नी ने प्रतिवादी नम्बर 1 व अन्य लोगों को अपने साथ लेकर वादीगण के घर आकर प्रतिवादी नम्बर 1 की जमीन अलग बांटकर देने को कहा तो वादीगण ने प्रतिवादी नम्बर 1, उसके साथ आई सतपाल की पत्नी व अन्य लोगों को समझाया कि प्रतिवादी नम्बर 1 का विवादित जमीन वर्णित धारा 1, 2 वाद पत्र में कोई हक हिस्सा या अधिकार नहीं है न कभी प्रतिवादी नम्बर 1 ने विवादित जमीन को कभी काश्त किया व न इस भूमि का लगान अदा किया है तथा प्रतिवादी नम्बर ने पहले ही उक्त अनुसार अपने हिस्से की जमीन की प्रतिफल राशि वादीगण नम्बर 1, 2 व इनके पिता रामजीलाल से प्राप्त कर ली है। इस पर उक्त सतपाल की पत्नी वादीगण व उसके परिवार को गाली गलोच करने लगी तथा जबरजस्ती जमीन पर कब्जा करने की धमकी देने लगी तथा वादीगण को कहा कि वह दो–तीन दिन में ही प्रतिवादी नम्बर 1 को अपने साथ लेकर ट्रेक्टर लेकर आयेगी तथा वादीगण द्वारा काश्त की हुई जमीन को उथल कर प्रतिवादी नम्बर 1 की जमीन में काश्त करेगी। प्रतिवादी नम्बर 1 भी सतपाल की पत्नी की कठपुतली की भांति हां में हां मिलाता रहा। उक्त सतपाल की पत्नी ने वादीगण के वापस लोटने से पहले यह भी धमकी दी कि यदि प्रतिवादी नम्बर 1 व उसे कोई यदि जमीन जेर बहस काश्त करने से रोकेगा तो वह अपने कपड़े फाड़कर अपने शरीर पर स्वयं ही चोटे कारित कर वादीगण के विरूद्ध झूठा संगीन मुकदमा बनवाकर जेल भिजवा देगी तथा जबरन बलपूर्वक जमीन जेर बहस वर्णित धारा 1, 2 वाद पत्र पर कब्जा करने का प्रयास कर इस भूमि के वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर देंगे जिसका कोई अधिकार प्रतिवादी नम्बर 1 या उसकी ओर से अन्य किसी व्यक्ति को नहीं है। इसलिए वादीगण को अपने हकूकों की रक्षार्थ यह दावा करना आवश्यक हुआ है।

7. यह कि प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 6 उक्त सुखराम के जमीन जेर बहस में 1/2 हिस्से की जमीन के खातेदार काश्तकार रहे हैं जिनमें से कुछ ने अपने हिस्से की जमीन को अन्य लोगों को विक्रय पुरसको क्रस की गई जमीन इस जमीन के खाता से प्रथक हो गई है शेष जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 14 की उनके अपने हिस्से के अनुसार शामलाती दर्ज है। प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से दर्ज हक हिस्से की जमीन के खातेदार वादीगण है। प्रतिवादीगण नम्बर [illegible] 14 के जमीन जेर बहस में हक हिस्से के बारे में कोई विवाद [illegible] खाता होने से प्रतिवादीगण नम्बर 2 लगायत 14 को तरतिबी पक्षकार प्रतिवादीगण [illegible] है।

8. यह कि बिनाऐ मुखास्मत दावा हाजा के लिए दिनांक 2.8.2020 को तब पैदा हुई जब प्रतिवादी नम्बर 1 अपने भाई फूलाराम की पुत्रवधू सतपाल की पत्नी व अन्य लोगों को अपने साथ लेकर वादीगण के घर आया तथा नाजायज रूप से जमीन जेर बहस वर्णित

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

धारा 1, 2 वाद पत्र में अपना हक हिस्सा होना बतलाते हुये इस भूमि पर जबरन, बलपूर्वक कब्जा कर इस भूमि के वादीगण के उपयोग उपभोग में बाधा डालने की धमकी दी जो न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार में पैदा हुई।

9. यह कि जमीन जेर बहस के सहखातेदारान द्वारा इस भूमि की जमाबन्दी में दर्ज अनुसार बैंकस से ऋण सुविधा प्राप्त की हुई होने से भविष्य में किसी कानूनी नुकसान से बचने के लिए बैंकस को पक्षकार प्रतिवादीगण नम्बर 15, 16 बनाया गया है।

10. यह कि लैण्ड होल्डर तहसीलदार सिंघाना को नियमानुसार पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

11. यह कि दावा को सुनने का हक न्यायालय श्रीमान् को अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट व इसी एक्ट तृतीय शेड्यूल के सीरियल नम्बर 5, 23 से है।

12. यह कि दावा 2/- रूपये की पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:-

(क). घोषणा इस अमर की फरमाई जावे कि जमीन जेर बहस वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र के 1/2 हिस्से के खातेदार काश्तकार वादीगण हैं व काबिज हैं तथा प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम से इस जमीन के राजस्व रिकार्ड में हिस्सा गलत दर्ज है जो वादीगण को हक अधिकारों के विपरीत अवैध, नल एन्ड वोईड व निष्प्रभावी है जिसे दुरूस्त किया जाकर प्रतिवादी नम्बर 1 के हिस्से में दर्ज जमीन का राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम से अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाकर इस भूमि के राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त फरमाया जावे।

(ख). प्रतिवादी नम्बर 1 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि प्रतिवादी नम्बर 1 जमीन वर्णित धारा 1 व 2 वाद पत्र के किसी भाग पर जबरन बलपूर्वक कब्जा करने का प्रयास कर इस भूमि के वादीगण के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डाले व इस भूमि के गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर इस भूमि के किसी भाग को किसी अन्य के हक में किसी प्रकार से अन्तरित नहीं करें।

(ग). खर्चा दावा दिलवाया जावे।

(घ). अन्य दादरसी जो वादीगण के हक में हो तथा भूल से चाही जने से रह गई हो, हस्ब धारा 209 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट दिलवाई जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए गये। प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 17 को तामील [illegible] के उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 09.04.2021 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उनके अभिभाषक द्वारा पैरवी की गई।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

प्रार्थी सत्यपाल चाही की ओर से दिनांक 06.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी के तहत इस आशय को प्रस्तुत किया गया कि.

1. यह कि उपरोक्त उनवानी प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 का गत दिनांक 28.05.2021 को ग्राम रेजडी, तहसील राजगढ़, जिला चुरू (राज०) में देहान्त हो गया। जिसके वारिसान् में उसके द्वारा गोद लिया गया पुत्र उसका विधिक वारिस है। प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रार्थी सत्यपाल को 13 वर्ष की आयु में गोद ले लिया था, जिसका गोदनामा दिनांक 07.03.2018 को उप पंजीयक कार्यालय, राजगढ़ में पंजीबद्ध करवाया गया था।
2. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 के एकमात्र वारिस उसका गोद लिया गया दत्तक पुत्र है, जिसको वाद में प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर पक्षकार वादी बनाया जाना आवश्यक है तथा प्रतिवादी संख्या 1 के विवरण के आगे दौराने दावा मृतक शब्द दर्ज किया जाकर उसके नीचे प्रतिवादी संख्या 1 के विधिक वारिसान् को निम्नानुसार पक्षकार वाद बनाया जावे :— 1/1 सत्यपाल चाहर दत्तक पुत्र भलेसिंह, आयु 35 वर्ष, जाति जाट, निवासी रेजडी, तहसील राजगढ़, जिला चुरू (राज०)।
3. यह कि प्रतिवादी संख्या 1 अविवाहित था, जिसका विवाह नहीं होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 ने सन् 1994 में सत्यपाल चाहर को गोद ले लिया था. जिसके बाद से उक्त सत्यपाल प्रतिवादी संख्या 1 के साथ कुछ दिन ग्राम नरहड़ में रहा व बाद में ग्राम रेजडी में रहने लग गये।
4. यह कि उक्त प्रतिवादी संख्या 1 के प्रार्थी के अतिरिक्त अन्य कोई जायन्दा जिन्दा वारिस नहीं है। इसलिए प्रार्थी को मृतक प्रतिवादी संख्या 1 आवश्यक है। के स्थान पर पक्षकार वादी बनाया जाना।
5. यह कि मृतक प्रतिवादी संख्या 1 का देहान्त दिनांक 28.05.2021 को हो गया, जिसके बाद यह प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद पेश किया जा रहा है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 के स्थान पर प्रार्थी को पक्षकार वादी बनाये जाने के आदेश फरमाये जायें तथा वाद प्रतिवादी संख्या 1 के विवरण के आगे लाल स्याही से दौराने दावा मृतक शब्द दर्ज किया जावे।

प्रार्थी सत्यपाल चाहर के प्रार्थना पत्र अ. आदेश 1 नियम 10 आदेश 22 नियम 4 का जवाब वादीगण की ओर से नीचे लिखे अनुसार प्रस्तुत किया :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

1. यह कि धारा 1 प्रार्थना पत्र में प्रतिवादी नं. 1 का गत दिनांक 28.05.2021 को होना लाईल्मी अस्वीकार है। मृतक प्रतिवादी नं. 1 ने अपने जीवनकाल मे कभी किसी को गोद नही लिया। इसलिए प्रार्थी का मृतक प्रतिवादी नं. 1 का गोद लिया गया पुत्र होने का प्रश्न ही नही है, न प्रार्थी का मृतक प्रतिवादी नं. 1 का वारिस होने का ही कोई प्रश्न है। मृतक प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रार्थी सत्यपाल को उसकी 13 वर्ष की आयु मे गोद लेने का

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

सवाल ही नही है। प्रार्थी व उसके लालची माता–पिता ने गोद के तथ्य से मृतक प्रतिवादी नं. 1 को अनभिज्ञ रखकर अपनी मनमर्जी से झूठा गोदनामा तैयार करवाकर पंजीकृत करवाया है जिसके अवलोकन से भी मृतक प्रतिवादी नं. 1 द्वारा प्रार्थी को हिन्दु एडोप्सन एवं मैन्टीनेन्स एक्ट के प्रावधानो के अनुसार गोद लिया जाना जाहिर नही होता न गोद के लिए आवश्यक सेरेमनी आदि का होना ही अंकित है। प्रार्थी सत्यपाल चाहर पढ़ा लिखा है, फौज में नौकरी करना बताया जाता है। प्रार्थी के समस्त शैक्षणिक रिकॉर्ड व उसके सेवा रिकॉर्ड में प्रार्थी के पिता का नाम फूलाराम उर्फ हरफूल का नाम दर्ज है। प्रार्थी के आधार कार्ड, पारिवारिक राशन कार्ड आदि समस्त रिकॉर्ड में भी प्रार्थी के पिता का नाम उसके जन्मदाता पिता उक्त फूलाराम का नाम ही दर्ज है। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक प्रतिवादी नम्बर 1 ने अपने जीवनकाल मे एक दावा उनवानी भल्लेसिंह बनाम बनवारीलाल वगैरह दावा बाबत स्थाई निषेधाज्ञा मु. नं. 46 / 2020 व प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा मु.नं. 69 / 2020 न्यायालय श्रीमान में प्रस्तुत किया जिसमे भी मृतक प्रतिवादी नं. 1 ने अपने द्वारा प्रार्थी को गोद लिए जाने के तथ्य का किसी प्रकार से कोई उल्लेख नही किया। उक्त दावा, प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 30.03.2021 को मृतक प्रतिवादी नं. 1 के जीवनकाल में खारिज हो गये।

2. स्वंय मृतक प्रतिवादी नं. 1 भलेसिंह द्वारा एक अन्य दावा भलेसिंह बनाम बनवारी वगैरह दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा न्यायालय श्रीमान मे प्रस्तुत किया जाना बताया गया है जिसमे अभी प्रतिवादीगण की तामील नही हुई है। उक्त दावा मे भी स्वंय भलेसिंह ने प्रार्थी सत्यपाल को कभी गोद लेने का उल्लेख नही किया है। इससे यह जाहिर है कि स्वंय भलेसिंह ने भी न तो कभी प्रार्थी को गोद लेना माना व न कभी उक्त अनुसार प्रार्थी के हक मे गोदनामा करवाये जाने बाबत कोई उल्लेख ही किया। इस प्रकार स्वंय मृतक प्रतिवादी नं. भलेसिंह के कन्डक्ट से भी यह स्पष्ट है कि उसने कभी भी प्रार्थी या अन्य किसी को कभी गोद नही लिया। उक्त सभी तथ्यो के प्रकाश में न तो प्रार्थी का प्रथम दृष्टिया गोद दिया लिया जाना प्रकट होता है तथा न मृतक प्रतिवादी नं. 1 को किसी गोदनामा के तथ्य के बारे में ही कोई जानकारी रही। मृतक प्रतिवादी नं. 1 गत करीब 70 वर्षों से गांव रेजड़ी जिला चूरू मे अपने भाई फूलाराम के परिवार के साथ रह रहा था। गांव नरहड़ मे कभी नही आया। प्रार्थी भी 13 वर्ष की आयु मे मृतक प्रतिवादी नं. 1 के गोद आना कहता है परन्तु न तो कभी मृतक प्रतिवादी नं. 1 ने गांव नरहड़ मे आकर किसी से जाहिर किया कि उसने प्रार्थी को गोद ले लिया प्रार्थी, न प्रार्थी ही मृतक प्रतिवादी नं. 1 के साथ गांव नरहड़ आया। मृतक प्रतिवादी नं. 1 को या प्रार्थी को तो आजतक यह भी अत्ता पता नहीं कि विवादित जमीन कौनसा खेत कहां है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार प्रार्थी को नही है। प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है।

3. यह कि धारा 2 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। यह कहना गलत है कि प्रार्थी मृतक प्रतिवादी नं. 1 के द्वारा गोद लिया हुआ पुत्र हो। प्रथम दृष्टया ही कथित गोदनामा के अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि उक्त कथित गोदनामा एनफोर्सेबल नही

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं

है न इसमें गोद के बाबत आवश्यक सेरेमनी का हवाला है तथा न इस गोदनामा की आजतक किसी प्रकार से कोई क्रियान्विति ही हुई है। प्रार्थी को मृतक प्रतिवादी नं. 1 का गोद पुत्र होना बतलाते हुये प्रकरण मे 1/1 के बतौर 15 बतौर पक्षकार बनाये जाने का कोई अधिकार नही है। पूरा जवाब उपर धारा 1 जवाब प्रार्थना पत्र मे दिया जा चुका है।

4. यह कि धारा 3 प्रार्थना पत्र गलत होने से अस्वीकार है। यह कहना निराधार है कि प्रतिवादी नं. 1 ने सन 1994 मे प्रार्थी को गोद ले लिया हो। धारा 1 प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने उसे अपनी 13 वर्ष की आयु मे गोद लेने कथन किया है तथा इस धारा में सन 1994 में गोद लिये जाने का कथन करता है। तथाप्रार्थी ने अपनी जन्म तिथि अंकित नहीं की है परन्तु प्रार्थना पत्र के अन्त में दर्ज अपने नाम पता के साथ व प्रार्थना पत्र के सलंग्न अपने शपथ पत्र मे अपनी आयु 35 वर्ष होने का कथन किया है तथा प्रार्थना पत्र दिनांक 06.08.2021 को न्यायालय के सक्षम प्रस्तुत किया गया है। इससेप्रार्थी का कथन कि उसे 13 वर्ष की आयु मे गोद लिया तथा बाद मे सन् 1994 मे गोद लिया जाना दर्ज किया जाना व अपनी आयु उक्त अनुसार दिनांक 6.08.2021 को 35 वर्ष होना दर्ज किया जाना आदि सभी बाते एक दुसरे की विरोधाभाषी बाते है इससे स्पष्ट है कि सन 2018 में मलेसिंह द्वारा दावा किये जाने से पूर्व कानूनी सलाह से उक्त अनुसार दिनांक 7.03.2018 को एक गोदनामा बनाकर तैयार करवा लिया जिसकी जानकारी स्वंय मृतक प्रतिवादी नं. 1 को भी नही होने दी। इसलिए मृतक प्रतिवादी नम्बर 1 ने उसके द्वारा प्रस्तुत किये दोनो दावो में से किसी भी दावा मे उसके द्वारा प्रार्थी को गोद लिए जाने के बाबत कोई उल्लेख नही किया गया जिससे वादीगण को कथित गोदनामा के बाबत जानकारी हो सके। वादीगण को उक्त अनुसार दिनांक 6.08.2021 को प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर ही कथित गोदनामा के बाबत जानकारी हो सकी। इससे पहले न तो मृतक प्रतिवादी नं. 1 ने ही कभी प्रार्थी को अपना दत्तक पुत्र होना बतलाया व न अन्य किसी से प्रार्थी के मृतक प्रतिवादी नं. 1 के गोद पुत्र होने की कोई बात सुनी। इन परिस्थितियों से यह स्पष्ट है कि कथित गोदनामा मात्र एक बनावटी दस्तावेज है जिसके आधार पर प्रार्थी को मृतक प्रतिवादी नं. 1 का गोद का पुत्र होना प्रथम दृष्टिया ही नहीं माना जा सकता। प्रार्थी को प्रकरण मे पक्षकार प्रतिवादी ६ अप्रार्थी बनाये जाने का कोई अधिकार नही है। व प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थी ने कुछ दिन ग्राम नरहड़ में रहने का भी मिथ्या कथन किया है।

5. यह कि धारा 4 प्रार्थना पत्र अस्वीकार है। पूरा जवाब [illegible] आ चुका है।
6. यह कि धारा 5 प्रार्थना पत्र लाईल्मी अस्वीकार है।
7. यह कि धारा 6 प्रार्थना पत्र बाबत [illegible] किया जा चुका।
8. यह कि अन्य उजरात का जवाब [illegible]

अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

वकीलवादी उपस्थित। प्रतिवादी सत्यपाल चाहर की ओर से उनके अभिभाषक उपस्थित। बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वकीलवादी की ओर प्रतिवादी सत्यपाल चाहर के पक्ष में गोदनामा के आधार पत्र पक्ष को सही नहीं माने जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सत्यपाल के अभिभाषक ने अपनी बहस में प्रार्थी का गोदनामा सक्षम उप पंजीयक से तस्दीक होना व सही होना बताया। साथ ही इस गोदनामा के आधार पर प्रतिवादी सत्यपाल चाहर को दत्तक पुत्र के रूप में राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किए जाने का निवेदन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड एंव प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी सत्यपाल चाहर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी के जवाब प्रस्तुत होने के उपरान्त पक्षकार बनाए जाने का कथन सही पाये जाने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है। तथा इसी के अनुसार वाद पत्र में प्रस्तुत संशोधित वाद पत्र के आधार पत्र प्रतिवादी संख्या 1/1 पक्षकार माना गया है।

बहस अभिभाषकगण एंव पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात का गहनतापूर्वक मनन करने के उपरान्त यह न्यायालय उचित पाता है कि वाद पत्र के तहत वादीगण द्वारा चाहा गया अनुतोष उचित नहीं पाया जाता क्योंकि प्रतिवादी संख्या 1/1 (सत्यपाल चाहर) द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड गोदनामा सक्षम अधिकारी द्वारा तस्दीक होने के स्थिति में सही पाया गया है। तथा इसी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1/1 गोदनामे के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वाद मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 भल्लेसिंह का दत्तक पुत्र दर्ज करवाने का अधिकारी है।

अतः यह न्यायालय वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तथ्यों को साबित नही होने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज किए जाने का आदेश दिऐ जाते है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1/1 सत्यपाल चाहर को भल्लेसिंह की खातेदारी भूमि में दत्तक पुत्र के रूप में वारिस घोषित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

वकील वादी की बहस, पेश की निवेदन किया कि सभी प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से जवाब पेश किया गया। शेष की अनुपस्थित रहने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। साथ ही नवीन जमाबन्दी पेश कर बहस पूरी की रिकार्ड का अवलोकन किया गया। वकील प्रतिवादी ने बताया कि प्रतिवादी संख्या 1/1 गोदनामे के आधार पर राजस्व रिकार्ड में वाद मे दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 भल्लेसिंह का दत्तक पुत्र दर्ज करवाने का अधिकारी है। अतः पत्रावली बहस, उपरान्त, दस्तावेज साक्ष्य में वादी [illegible] ल बंदोबस्त खतौनी या रजिस्टर, जमाबन्दी सम्वत 2074—2077, मिसल [illegible] दिनांक 08.03.2018 की नकल प्रस्तुत की पूर्ण सात्रिक रिकार्ड, शपथ पत्र के [illegible] वादीगण का दावा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है व प्रतिवादी संख्या 1/1 सत्यपाल चाहर को भल्लेसिंह की खातेदारी भूमि में दत्तक पुत्र के रूप में वारिस घोषित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

राजस्व वाद संख्या- [illegible]/2020
बनवारीलाल बनाम सत्यपाल आदि
निर्णय दिनांक- 14/07/2025

–::आदेश::–

" न्यायालय वाद वादीगण व जवाब प्रतिवादी संख्या 1/1 का अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं राज0 स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 836 के खसरा नम्बर 784 रकबा 0.58 है0, ख0 न0 785 रकबा 0.51 है0, ख0 न0 787 रकबा 0.79 है0, ख0 न0 788 रकबा 0.02 है0, ख0 न0 790 रकबा 0.44 है0, ख0 न0 791 रकबा 0.42 है0, ख0 न0 792 रकबा 0.56 है0, ख0 न0 793 रकबा 0.52 है0, कुल किता 8 रकबा 3.81 है0, व वाके ग्राम नरहड़ के खाता संख्या 837 के ख0 न0 1048 रकबा 0.19 है0, ख0 1055 रकबा 4.09 है0, ख0 न0 1056 रकबा 0.19 है0, ख0 न0 1057 रकबा 1.23 है0, ख0 न0 1058 रकबा 0.24 है0, ख0 न0 1059 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 1061 रकबा 0.47 है0, ख0 न0 2386/2343 रकबा 1.16 है0, कुल किता 8 रकबा 7.61 है0, भूमि में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तथ्यों को साबित नही होने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज किए जाने का आदेश दिऐ जाते है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1/1 सत्यपाल चाहर को भल्लेसिंह के सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी भूमि में दत्तक पुत्र के रूप में वारिस घोषित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

निर्णय आज दिनांक 14/7/25 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:–

राजस्व वाद सं.– 133/2023

सुमन देवी II, आर.ए.एस.

जीसीएमएस नम्बर :– 2023/480

बनवारीलाल वगै बनाम भल्लेसिंह आदि

दावा बाबत– इस्तकरारहक, दुरूस्ती रिकार्ड व स्थाई निषेधाज्ञा

–:निर्णय:–

वादीगण की ओर से **श्री शिवनारायण सिंह एडवोकेट** की व प्रतिवादी संख्या 1/1 की ओर से श्री विकास कुमार एडवोकेट की उपस्थिति में शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **सुमन देवी II उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादीगण व जवाब प्रतिवादी संख्या 1/1 का अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम नरहड़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनू राज0 स्थित भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 के खाता संख्या 836 के खसरा नम्बर 784 रकबा 0.56 है0, ख0 न0 785 रकबा 0.51 है0, ख0 न0 787 रकबा 0.79 है0, ख0 न0 788 रकबा 0.62 है0, ख0 न0 790 रकबा 0.44 है0, ख0 न0 791 रकबा 0.42 है0, ख0 न0 792 रकबा 0.55 है0, ख0 न0 793 रकबा 0.52 है0, कुल किता 8 रकबा 3.81 है0, व वाके ग्राम नरहड़ के खाता संख्या 837 के ख0 न0 1048 रकबा 0.19 है0, ख0 1055 रकबा 4.09 है0, ख0 न0 1056 रकबा 0.19 है0, ख0 न0 1057 रकबा 1.23 है0, ख0 न0 1058 रकबा 0.24 है0, ख0 न0 1059 रकबा 0.04 है0, ख0 न0 1061 रकबा 0.47 है0, ख0 न0 2386/2343 रकबा 1.16 है0, कुल किता 8 रकबा 7.61 है0, भूमि में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र तथ्यों को साबित नही होने की स्थिति में वाद वादीगण खारिज किए जाने का आदेश दिऐ जाते है। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1/1 सत्यपाल साहर को भल्लेसिंह के सम्पूर्ण हिस्से की खातेदारी भूमि में दत्तक पुत्र के रूप में वारिस घोषित किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया [illegible] डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 14/7/25 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Devi
Date: 2025.08.01 17:34:25 IST
Reason: SelfAttested

(सुमन देवी II)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना